



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072023-247620
CG-DL-E-26072023-247620

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3201]
No. 3201]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

का.आ. 3346(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन योजना, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम विरचित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ –

- (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन योजना, 1995 के पैरा 49 के उप-पैरा (1) और (6) में 'दो वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एम-16017/19/2023-बीमा-I]

मुकेश कुमार बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल स्कीम अधिसूचना संख्यांक का.आ.585(अ) तारीख 28 जून, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात, अधिसूचना संख्यांक का.आ.475(अ) तारीख 3 जुलाई, 1996, का.आ.342(अ) तारीख 22 अप्रैल, 1997, का.आ.461(अ) तारीख 18 जून, 1999, का.आ.1221(अ) तारीख 6 दिसंबर, 1999, का.आ.590 (अ) तारीख

22 जून, 2000, का.आ.775(अ) तारीख 14 अगस्त, 2001, का.आ.1086 (अ) तारीख 2 नवंबर, 2001, का.आ.778(अ) तारीख 5 जुलाई, 2004, का.आ.636 (अ) तारीख 4 मई 2005, का.आ.1794(अ) तारीख 19 अक्टूबर, 2006, का.आ.2473(अ) तारीख 8 अक्टूबर, 2010 और का.आ.236(अ) तारीख 23 जनवरी, 2016 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

S.O. 3346(E).—In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995, namely :-

1. Short title and commencement. –

(1) This Scheme may be called the General Insurance (Employees') Pension (Amendment) Scheme, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the General Insurance (Employees') Pension Scheme, 1995, in paragraph 49, in sub-paragraphs (1) and (6), for the words 'two years', the words 'one year' shall respectively be substituted.

[F. No. M-16017/19/2023-Ins-I]

MUKESH KUMAR BANSAL, Jt. Secy.

Note : The Principal Scheme was published *vide* notification No.S.O.585 (E) dated the 28th June, 1995 and subsequently amended by notification No. S.O.475 (E) dated the 3rd July, 1996, S.O.342 (E) dated the 22nd April, 1997, S.O.461 (E) dated the 18th June, 1999, S.O.1221 (E) dated the 6th December, 1999, S.O. 590(E) dated the 22nd June, 2000, S.O.775 (E) dated 14th August, 2001, S.O.1086 (E) dated the 2nd November, 2001, S.O. 778 (E) dated the 5th July, 2004, S.O.636 (E) dated the 4th May, 2005, S.O.1794(E) dated the 19th October, 2006, S.O. 2473(E) dated 08th October, 2010 and S.O. 236(E) dated 23rd January, 2016.